प्रेस विज्ञप्ति

पाली के संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों के हजार्डियस स्लज को सीमेन्ट उद्योगों के माध्यम से निस्तारण की कार्यवाही

राज्य में पाली, जोधपुर एवं बालोतरा में स्थापित लघु वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों से जनित प्रदूषित जल के उपचार हेतु स्थापित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों से निकलने वाले हजार्डियस स्लज को राज्य के वृहद् सीमेन्ट उद्योगों द्वारा कोप्रोसेसिंग प्रक्रिया से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अध्यक्षता में मण्डल मुख्यालय, जयपुर में दिनांक 10.04.2014 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के वृहद् सीमेन्ट उद्योगों, यथा– श्री सीमेन्ट लिमिटेड, अम्बुजा सीमेन्ट, बिनानी सीमेन्ट, बिड़ला सीमेन्ट, ए.सी.सी सीमेन्ट, अल्ट्रा टेक सीमेन्ट, जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट, आदित्य सीमेन्ट, वण्डर सीमेन्ट, इण्डिया सीमेन्ट के तकनीकि उच्च पदाधिकारी एवं संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों के संचालक ट्रस्टों, पाली एवं बालोतरा के पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

बैठक के दौरान ट्रस्टों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों से लगातार निकलने वाले हजार्डियस स्लज की समस्या से अवगत कराते हुए इसके निस्तारण सीमेन्ट उद्योगों के माध्यम से कराने का अनुरोध किया गया। सीमेन्ट उद्योगों के प्रतिनिधियों ने स्लज में उपस्थित नमी की अधिक मात्रा के कारण उपचार संयंत्रों से निकल रहे हजार्डियस स्लज को सीमेन्ट उद्योगों में कोप्रोसेसिंग के माध्यम से निस्तारण में आ रही समस्या से अवगत करवाया।

मण्डल अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि राज्य में पर्यावरण सुरक्षा का दायित्व सभी का है एवं इसके लिये सभी उद्योग समूहों को आगे बढ़कर समस्या के समाधान में सहयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। मण्डल सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान तकनीकि युग में किसी एक उद्योग से उत्पन्न कचरा (वेस्ट) अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपभोगित होने पर वित्तीय लाभ एवं प्राकृति संसाधनों के उपभोग में कमी सम्भव है। विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकि परीक्षणों से यह बात तो तय है कि उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों से जनित अपशिष्ट को कोप्रोसेसिंग प्रणाली द्वारा निस्तारित कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, आवश्यकता है केवल सीमेन्ट उद्योगों एवं संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों संचालक ट्रस्टों के मध्य आपसी तकनिकी एवं वित्तीय सहमति की।

मैसर्स आदित्य सीमेन्ट के प्रतिनिधी ने अवगत कराया कि उनके प्लान्ट में भीलवाडा स्थित प्रोसेस हाउसेज के उपचार संयंत्रों से उत्पन्न हो रहे स्लज का निस्तारण किया जाता है। मैसर्स ए. सी.सी. लाखेरी के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न प्रकार के वेस्ट को अपने उद्योग की क्लिन के माध्यम से निस्तारण के बारे में अवगत कराया।

बैठक में चर्चा उपरान्त पहल करते हुए मैसर्स श्री सीमेन्ट ने पाली स्थित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों से जनित हजार्डियस स्लज को कोप्रोसेसिंग द्वारा निस्तारण संबंधी परीक्षण करने हेतु संचालक ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ सात दिन में 200 टन स्लज के निस्तारण के लिये आपसी सहमति पर हस्ताक्षर किये। कोप्रोसेसिंग के परीक्षण परिणामों के आधार पर श्री सीमेन्ट एवं संचालक ट्रस्ट, पाली के मध्य हजार्डियस स्लज के निस्तारण हेतु दीर्घकालीन तकनिकी एवं वित्तीय अनुबन्ध पर कार्यवाही की जायेगी। मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट, जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट, आदित्य सीमेन्ट, बिनानी सीमेन्ट, बिड़ला सीमेन्ट के तकनिकी विशेषज्ञों ने भी उपचार संयंत्रों से उत्पन्न हो रहे हजार्डियस स्लज का निस्तारण हेतु अपने उद्योगों में तकनिकी परीक्षण के लिये सहमति प्रकट की।

सदस्य सचिव